

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक: 4675

/ना0से0पो0/यो0वि0/दिनांक: मार्च, 22, 2018

जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी के कार्यालय पत्रांक: 0258/ई-डिस्ट्रिक्ट सेल/2017-18/ दिनांक: 19 मार्च 2018 के परिपालन में नागरिक सेवा पोर्टल हेतु विभागीय योजनावार विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	योजना/कार्यक्रम का नाम	विवरण
1	एकीकृत बागवानी विकास मिशन	सामान्य - 2401-00-119-01-01 अनु0जा0/जन0जा0 - 2401-00-789-01-08
1	नवीन उद्यान रोपण	
2	पुष्प क्षेत्र विस्तार	इस कार्यक्रम अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जाता है।
3	मसाला विकास कार्यक्रम	इस कार्यक्रम अन्तर्गत लहसुन, प्याज क्षेत्र विस्तार में लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 12000.00 (बारह हजार) रु0/हैक्टैयर अनुदान निवेश के रूप में दिया जाता है।
4	बागवानी मशीनीकरण	इस कार्यक्रम अन्तर्गत 20 बी0एच0पी0 का ट्रैक्टर लेने हेतु इच्छुक कृषकों के द्वारा प्राप्त आवेदन निदेशालय उद्यान लखनऊ से स्वीकृत होने उपरान्त लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 1,00,000 लाख सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से देय है।
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	सामान्य-2401-00-800-02-04 अनु0जा0/जनजाति-2401-00-789-02-02 इस कार्यक्रम अन्तर्गत लाभार्थी कृषक को लागत का 40 प्रतिशत सीधे कृषक के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जाता है।
3	अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों के लाभार्थी औद्योगिक विकास योजना (राज्य सेक्टर)	2401-00-789-07-00 इस कार्यक्रम अन्तर्गत कुकरवितस सब्जियों, धनियाँ, गेंदा क्षेत्र विस्तार पर लागत का 90 प्रतिशत अनुदान सीधे कृषक के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जाता है।
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" माइक्रोइरीगेशन	सामान्य-2401-00-119-01-02 अनु0जा0/जनजाति-2401-00-789-01-09 इस योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 90 प्रतिशत एवं बड़े कृषक (दो हैक्टैयर से अधिक) को 80 प्रतिशत अनुदान विभाग द्वारा सीधे कृषक के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जाता है।

2-योजना के प्रारम्भ एवं अन्तिम तिथि का विवरण- प्रतिवर्ष नवीन वित्तीय वर्ष प्रारम्भ में समाप्त तक।

3-योजना के लाभार्थी कौन-कौन होंगे- प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर।

4-योजना का लाभ किस रूप में होगा, आर्थिक सहायता के रूप में आवास आदि- उपरोक्तानुसार आर्थिक रूप में अनुदान की सीमा तक लाभार्थी के वचत खाते में सीधे डी0बी0टी0 हस्तान्तरण द्वारा।

5-योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया का विवरण- किसी भी कार्य दिवस में इच्छुक लाभार्थी कार्यालय में अपनी जमीन/पहचान/बैंक के दस्तावेज/मो0नं0 के साथ किया जा सकता है।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्र0जिला उद्यान अधिकारी,
मैनपुरी।

कृषकों के द्वारा जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रारूप वर्ष 2017-18

क्र.सं०	मद	विवरण	
		पंजीकरण संख्या	मोबाइल नम्बर
1	पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल नम्बर		
2	जनपद		कोटी
3	तहसील		
4	धिकारा खण्ड		
5	सजस्य ग्राम का नाम		
6	कृषक का नाम एवं पिता का नाम		
	जाति		
	श्रेणी	(सामान्य/लघु शीमान्त/मि०जा०/अनु०जा०/जनजाति/अल्पसंख्यक)	
7	गाटा/खसरा नम्बर/खतीनी क्रमांक		
8	क्षेत्रफल		
9	बैंक नाम एवं शाखा का नाम		
10	बैंक खाता संख्या		
11	आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी०/आई०एफ०एस०सी० कोड		
12	कार्यक्रम का नाम		
13(अ)	फसल प्रजाति	नाम-	
13(ब)		मात्रा (संख्या/ग्राम में)	
14	निवेश:-		
1	बायोफर्टिलाइजर/बायोपेस्टीसाइड/बायोएजेंट्स		मात्रा (प्राग/मि०ली०/संख्या में)
2	वर्मी कम्पोस्ट/नीमकोक		मात्रा (किलो प्राग में)
3	एच०डी०पी०ई० वर्मी ट्रेड/मलिनगशीट		मात्रा (संख्या/मीटर में)
4	ड्रिप		मात्रा (हैक्टर में)
5	स्प्रिंकलर		मात्रा (हैक्टर में)
6	शेडनेट हाउस		मात्रा (वर्ग मीटर में)
7	पाली पीन हाउस		मात्रा (वर्ग मीटर में)
8	मीनगृह/मीनवश		मात्रा (यूनिट/संख्या में)
9	वनी कम्पोस्ट इकाई		मात्रा (यूनिट/संख्या में)
10	मशीन/उपकरण का नाम		मात्रा (संख्या में)
11	आवेदनकर्ता का प्रकार		

12	आवेदनकर्ता का सामाजिक स्तर	
13	शैक्षिक योग्यता	
14	उम्र (वर्ष में)	
15	ईमेल-आईडी	
16	वार्षिक आय प्रतिवर्ष (रूपये में)	
17	राशन कार्ड नम्बर	
18	पैन कार्ड नम्बर	
19	वोटर कार्ड नम्बर	
20	अन्धकार नम्बर	
21	किसान क्रेडिट कार्ड नम्बर	
22	घर/मकान संख्या	
23	गली/ग्रहल्ला/स्थित (Location)	
24	पिनकोड	
25	न्याय पंचायत	
26	एसटीडीकोड कोड	
27	घर का फोन नम्बर	
28	निवास (Habitation)	
29	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	
30	जमीन सर्वेक्षण क्रमांक (अधिकतम 16 अंक)	

आवेदन-पत्र के प्रत्येक कॉलम को भरना अनिवार्य है अपूर्ण फॉर्म अनुदान भुगतान हेतु मान्य नहीं होगा।

कृषक हस्ताक्षर

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा		
1	1- कृषक अरा की धनराशि (रु० में)	
2	2- अनुमन्य अनुदान की धनराशि (रु० में)	
3	कुल मूल्य (रु० में)	

प्रभारी

जिला उद्यान अधिकारी
मैनपुरी।